

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3526  
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच का नियमितीकरण

3526. श्री सेल्वाराज वी.:  
श्री सुब्बारायण के.:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायकों (एडब्ल्यूएच) को सरकारी सेवाओं में आमेलित करने और समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, के अंतर्गत उनके कार्यों के नियमितीकरण के परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से एक नीति बनाने का अनुरोध किया गया है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर  
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): मंत्रालय ने संगत निर्णय की समीक्षा की है और इसे चुनौती देने का निर्णय लिया है।

\*\*\*\*\*